संख्या:29/2018/1084/35-4-2018

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3-समस्त जिलाधिकारी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 24 सितम्बर,2018

विषय : त्वरित आर्थिक विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

प्रदेश में कार्यान्वित त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश सं0-1459/35-आ-1/2012-13 दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 द्वारा निर्गत किये गये है। प्रदेश में विकास कार्यों को गति प्रदान किये जाने हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कतिपय संशोधन किये गये है। अत: संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर ही त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। मार्गदर्शी सिद्धान्त सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

भवदीय,

24.09.2018

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:29/2018/1084/35-4-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या।
3- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
4- समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/प्रबन्ध निदेशक।
5- नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी।

आज्ञा से,

24/9/18

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:29/2018/1084/35-4-2018 का संलग्नक

त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त

क्र.सं.	नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना
1	उद्देश्य	प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजीगत प्रकृति के अवस्थापना सुविधाओं का विकास परिकल्पित है।
2	वित्तीय व्यवस्था	वित्तीय वर्ष के लिये योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था के अधीन विकास कार्यों को वित्त पोषित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं/कार्यों का चयन यथा संभव बजट प्राविधान कराने के पूर्व कर लिया जायेगा ताकि चयनित कार्य मदों की बजट में समुचित व्यवस्था हो सके। अपरिहार्य परिस्थितियों में अपवादस्वरूप एकमुश्त बजट प्राविधान होने की दशा में बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के आलोक में परियोजनाओं/कार्यों का चयन समयबद्ध ढंग से इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का उपयोग ससमय सुनिश्चित हो सके।
3	योजना का आच्छादन	योजनान्तर्गत मुख्य रूप से निम्न मदों के लिए पूँजीगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध हो सकेगी :- 1-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय पॉलीटेक्निक/राजकीय आई0टी0आई0 के भवनों का निर्माण/ विस्तार। 2-स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित भवनों का निर्माण/विस्तार। 3-जलापूर्ति/मल जल/जल निकासी कार्यक्रम से संबंधित नये कार्य। 4-लघु सिंचाई कार्यक्रम। 5-वनीकरण कार्यक्रम। 6-विद्युतीकरण/विद्युत वितरण केन्द्र/विस्तार तथा भूमिगत विद्युत व्यवस्था। 7-शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था/सडकों का सुधार/सड़कों का पुनर्निर्माण/सड़कों का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण (अनुरक्षण/ मरम्मत के कार्य को छोडकर) 8-सेतु का निर्माण। 9-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क का निर्माण/सड़कों का पुनर्निर्माण/ सड़कों का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण (अनुरक्षण/मरम्मत के कार्य को छोडकर) 10-न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर/जनसुविधाओं का विकास 11-अन्य विभाग के विभागीय मानकों से आच्छादित पूँजीगत कार्य, जो समय-समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चयनित किये जायेंगे।
4	प्रतिबन्ध	1- योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किये जाने वाले कार्य की लागत में भूमि अध्याप्ति की लागत सम्मिलित नहीं होगी। 2- योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु यथावश्यकता वन विभाग, पर्यावरण विभाग अथवा अन्य विभागों से आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करने के साथ ही भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य प्रशासकीय विभागों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। यह